षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विनय वर्मा, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री फराज फातमी, स०वि०स०	"11 मार्च, 2018 को राज्य के 708 केन्द्रों पर दारोगा भर्त्ती हेतु Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी । परीक्षा से पहले ही इस परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया । परीक्षा का प्रश्नोत्तर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा 16.03.2018 को पटना में प्रदर्शन किया गया जिस पर पुलिस द्वारा बिना आंसू गैस के गोले या वाटर कैनन का इस्तेमाल किये बेरहमी से सीधे लाठी चार्ज कर दिया गया जिससे दर्जनों अभ्यर्थी घायल हो गये । लाठी चार्ज के दौरान पत्रकारों को भी पीटा गया जिसकी लिखित शिकायत पत्रकारों ने पुलिस महानिदेशक से की है । अत: BPSSC द्वारा आयोजित 11.03.2018 की परीक्षा को रद्द करने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों एवं पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज की जाँच कर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री रविन्द्र यादव, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स० श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० श्री दिनकर राम, स०वि०स०	''बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का सत्र नियमित करने के उद्देश्य से पिछले तीन बार में 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं तथा 60वीं से 62वीं सत्र के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है । इसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से इन्हें आवेदन देने से वंचित रहना पड़ा है । 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देकर इसमें बैठने का अवसर दियां जाय तो यह उनके लिए न्यायसंगत होगा । उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा 2017 में, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा तथा यूपीएससी की परीक्षा में भी पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा की छूट देकर अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दिया गया है । अतः बीपीएससी की एकीकृत सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थियों को निकट भविष्य में होने वाली 63वीं सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/18- 1555-1565 वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.3.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/18- 1555-1565 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

20.3.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।